कार्यालय– निदेशक(रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण (रा0यो0) योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–73/2023/1269/सैंतीस–2–2023/001–1(67)/02, दिनांक–04 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभिन्न मानक मदों में **धनरशि रू0–9.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति** प्रदान की गई है, के क्रम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–466/बजट/29(5)/अनु0सं0–83/06/2023–24, दिनांक 12.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त **धनराशि रू0–9.40 लाख का आवंटन किया जा चुका है।** उक्त योजना सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण (रा0यो0) के अन्तर्गत अलीगढ़ में संचालित है, के कियान्वयन हेतु आवश्यक गाइडलाईन/दिशा–निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है, के दृष्टिगत मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद–अलीगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए आवंटित धनराशि का व्यय करना सुनिश्चित करें:–

1– शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2023 में उल्लिखित तथ्यों के अनुपालन में एवं वित्त नियमों तथा वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 12.07.2023 द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

2– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के वित्त नियमों के आलोक में एवं निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।

3– योजना के मानक मद–12–कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण, 42–अन्य व्यय तथा 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि सूकर पालन प्रशिक्षण/डाग्नोस्टिक प्रयोगशाला से संबंधित वस्तुओं/सामग्रियों का क्रय शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति एवं वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुये किये जाय।

4– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तब तक किसी प्रकार की क्रय संबंधी कार्यवाही न की जाय।

5– मानक मद–28–प्रकाशन, 19–विज्ञापन, बिक्री और बिख्यापन व्यय में आवंटित धनराशि से विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार के संबंध में निर्गत शासनादेशों एवं वित्त नियमों के आलोक में ही व्यय किया जाय।

6– मानक मद–21–छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन मद में आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति और छात्रवेतन का भुगतान **RTGS/NEFT** के माध्यम से ही किया जाय। किसी भी दशा में नकद भुगतान नही किया जायेगा।

7– मानक मद–29–अनुरक्षण में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्याः ए–2–1092/दस–2011–24 (7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र **XVII** के बिन्दु संख्या–17 में निहित प्राविधानों एवं निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा अनुरक्षण में कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये उनका आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा उसकी एक प्रमाणित छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायी जाय।

8– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि को उपरोक्त दिये गये आदेशों/निर्देशों के अनुपालन एवं वित्तीय नियमों के आलोक में ही व्यय किया जाय।

अतः उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी। योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारी से की जायेगी। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्याः 547/प0–1/9ख/सूकर प्रशि0के0/बजट/2023–24, दिनांकः 21/07/2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ़।(सूकर प्रशिक्षण केन्द्र/डाग्नोस्टिक प्रयोगशाला हेतु) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संयुक्त निदेशक (सू0रो0नि0) अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत मॉग–पत्र के अनुसार आवंटित धनरशि का व्यय कराना सुनिश्चित करें।

2– संयुक्त निदेशक (सू0रो0नि0) अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष अपना मांग–पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ़ को उपलब्ध कराते हुए आवंटित धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय किया जाय। समयान्तर्गत व्यय न करने की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

3– अपर निदेशक,ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

4– उप सचिव, पशुधन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के शासनादेश संख्या–73/2023/1269/सैंतीस–2–2023/001–1(67)/02,दिनांक– 04 जुलाई, 2023 के अनुक्रम में सादर संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित।

5– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त दिशा–निर्देशों को विभागीय, बेवसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/07/23

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

60 / पु0-1
7-7-23

संख्या-73/2023/1269/सैंतीस-2-2023/001-1(67)/02

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 जुलाई, 2023

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 के अधीन सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ का सुद्दढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35/प.-1/9ख/सू.प्रशिक्षण केन्द्र/बजट/2023-24, दिनांक-25.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ का सुद्दढीकरण के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-9.40 लाख (रूपये नौ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
18-प्रकाशन	0.50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.50
21-छात्रवृतियां और छात्रवेतन	0.40
29-अनुरक्षण	5.00
42-अन्य व्यय	1.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00
योग-	9.40

(रूपये नौ लाख चालीस हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) मानक मद 29-अनुरक्षण में स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।

(7) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(8) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403007890800 (सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण	18 प्रकाशन	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
3	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	40,000 (रुपये चालीस हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण		मात्र)
5	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
6	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**9,40,000** **(रुपये नौ लाख चालीस हजार मात्र)**
महायोग				9,40,000 (रुपये नौ लाख चालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-73/2023/1269(1)/सैंतीस-2-2023/001-1(67)/02, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

504/501
12-7-23

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
अलीगढ़।

संख्या– 468 /बजट/29(5)/अनु0–83/06/2023–24 दिनांक 12.07.2023

विषय:– **अनुदान सं0–83 के अन्तर्गत सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण (रा0यो0) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–73/2023/1269/सैंतीस–2-2023/001-1(67)/02, दिनांक–04 जुलाई, 2023 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0–83 के अधीन लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–08–सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू0 9.40 लाख (रूपये नौ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की है, जिसके के आधार पर निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र संख्या–434/प0–1/938/2023–24, दिनांक 10.07.2023 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार धनराशि संलग्न एलॉटमेन्ट ब्रिफ रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपको आवंटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(1) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सी.एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः आवंटित की जा रही है।

(3) योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(5) आवंटित की जा रही धनराशि से योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स)–2016 एवं विभागीय क्रय नीति (यदि) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) मानक मद 29 अनुरक्षण में आवंटित धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक–28 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जाये।

(7) निदेशक, रोग नियन्त्रण प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(8) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-02 /2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(11) एतद्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक -2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

(12) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन रजिस्टर के कम सं0-06 (अनु0-83) पर अंकित कर ली गयी है ।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक।

संख्या 466 /बजट/23(5)/अनु0-83/06/2023-24तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/लेखानुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4- निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
5- योजनाधिकारी अपर निदेशक,ग्रेड-1 (लघु-पशु) मु0 को उनके पत्र सं0-484/प0-1/9ख/2023-24, दिनांक 10.07.2023 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना से संबंधित कार्ययोजना/गाइडलाइन्स संबंधित आ0वि0अधि0 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा योजना की सघन समीक्षा कर आवंटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित करायें।
6- प्रक्षेत्र प्रबन्धक, सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र, सी0डी0एफ0, अलीगढ़।
7- कम्प्यूटर आपरेटर-कम-सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन को विभागीय वेबसाइड पर फीड करने का कष्ट करें।
8- व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय।

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष-2023-2024
आवंटन दिनांक-12/07/2023

प्रेषण संख्या:- 466
आवंटन आदेश संख्या:- 001-29-5-ANU-83-06-2023-24
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
08 - सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	अलीगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	100000 100000	50000 50000	50000 50000	40000 40000	500000 500000	100000 100000	100000 100000	940000 940000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000 100000	50000 50000	50000 50000	40000 40000	500000 500000	100000 100000	100000 100000	940000 940000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ लाख चालीस हजार

(महेंद्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR BHATT
Reason: Allotment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date:2023.07.12 12:13:38 +05:30